न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 10/09 निर्णय दिनांकः– 13.05.2019

1. करणीसिंह पुत्र राऊसिंह जाति राजपूत निवासी डेलीतलाई तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. झण्डा पुत्र रावता जाति दरोगा निवासी आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–07–2011
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 18–01–2018 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम ग्राम जोधासर के खसरा नम्बर 318 तादादी 32 बीघा बारानी आवंटन दिनांक 24–09–1990 को किया गया था। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर मुताबिक कब्जा चक 12 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 165/16 के किला नम्बर 1 ता 23 में 23 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 165/8 के किला

नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 9 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 32 बीघा कमाण्ड भूमि पैमूद हुई। जिसके नियमन बाबत् चालान संख्या 404 दिनांक 27—03—2008 उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राशि 17,112/— जमा भी करवा दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई नोटिस दिये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जोधासर के खसरा नम्बर 318 तादादी 32 बीघा बारानी आवंटन दिनांक 24—09—1990 को अपीलांट को किया गया था। दौराने चकबन्दी उक्त भूमि चक 12 डीजेएम के मुरब्बा नम्बर 165/16 के किला नम्बर 1 ता 23 में 23 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 165/8 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 व 25 में 9 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 32 बीघा कमाण्ड भूमि पैमूद हुई। जिसके नियमन बाबत् राशि 17,112/— जरिये चालान संख्या 404 दिनांक 27—03—2008 उपखण्ड अधिकारी को जमा भी करवा दिये गये। अपीलांट के साथ—साथ 36 काश्तकारों के नियमन की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार थी। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के आदेशानुसार पत्र क्रमांक प.3(51) राज/उप/97 दिनांक 19—05—2006 एवं 30—10—2006 के आधार पर जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा काश्तकारों के प्रार्थना पत्र दिनांक 19—03—2008 को उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार पूगल को अनियमित आवंटन का नियमित करने एवं ब्याज माफी के बाबत् निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा नियमन की राशि भी जमा करवाई

जा चुकी है। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 26—03—2008 को नियमन हेतु नोटिस जारी करने पर अपीलांट द्वारा तमाम सबूत यथा कब्जा काश्त के साक्ष्य, वोटर लिस्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमिहीन प्रमाण पत्र, पटवारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है ऐसी स्थिति में आराजी जैर किसी भी स्थिति में शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि विनिमय में आवंटित की गई है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इसप्रकार आवंटन की समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—01—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 24—03—2009 को प्रस्तुत की गई है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना तथा मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। संभव नहीं है कि कब्जाधारक अपीलांट को आवंटन अधिकारी के कार्यालय की इस गोपनीय कार्यवाही की समय पर जानकारी मिलें। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण संतोषजनक होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के साथ अपील पेश की गई। मूल पत्रावली तलब करने हेतु गत् 10 वर्षो से लगातार पत्राचार किया गया परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा न ही पत्रावली गुम होने के बारे में कोई सूचना दी गई। इससे प्रथम दृष्टया जाहिर है कि तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने गोपनीय तरीके से आवंटन आदेश जारी किये है तथा प्रतिलिपि जारी करने के उपरान्त पत्रावली गायब कर दी है।

आवंटन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रमाणित प्रतियों के आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला) द्वारा अपने कार्यालय में विचाराधीन आवंटन प्रकरणों को सूचीबद्व किये बिना, विधि सम्मत आवेदन पत्र प्राप्त किये बिना तथा तहसीलदार से भूमि के मौके व रिकार्ड की जानकारी लिये बिना अचानक दिनांक 18—01—2008 को अपीलाधीन आवंटन आदेश जारी किये जाने का निर्णय किया गया। दिनांक 30—06—2008 को विधिवत आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें विनिमय समिति द्वारा दिनांक 28—02—2001 को विनिमय में आवंटन की स्वीकृति जारी करने का उल्लेख किया गया है। आवंटन आदेश जारी होने के उपरान्त मौके पर कब्जा देने हेतु निर्देश दिये जाने पर पटवारी, जोधासर ने रेस्पोडेन्ट झण्डा को आवंटित उक्त भूमि पर अपीलांट करणीसिंह का नियमन प्रकरण जैरकार होने की टिप्पणी की है।

उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार मुरब्बा नम्बर 165/8 की भूमि पर करणीसिंह के कब्जे के आधार पर वर्ष 2006 से नियमन

पत्रावली जैरकार थी। दिनांक 26—03—2008 को उसी आवंटन अधिकारी श्री हरविन्द्र कुमार जिसने रेस्पोडेन्ट को भूमि आवंटन का अपीलाधीन आदेश जारी किया था, द्वारा श्री करणीसिंह से अण्डरटेकिंग लेकर राशि जमा करवाने का आदेश अंकित किया गया है। अपीलांट/कब्जाधारक द्वारा दिनांक 27—03—2008 को निर्देशानुसार 17,112/— रूपये राजकोष में जमा भी करवाये गये है।

उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों से स्पष्ट जाहिर है कि अधिसूचित मुरब्बा नम्बर 165/8 पर अपीलांट के कब्जे के नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सन् 2006 से प्रकरण विचाराधीन था, इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी ने पाक विस्थापित रेस्पोडेन्ट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन खारिज करते हुए सात साल पूर्व सम्पन्न हुई विनिमय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की आड़ में आवेदक झण्डा को धोखा देने की गरज से पेपर आवंटन कर दिया। बाड़मेर जिला के मूल वाशिंदा तथा पाक विस्थापित रेस्पोडेन्ट झण्डा के लिये संभव नहीं था कि बार—बार विवादित भूमि पर किये गये आवंटनों के अनुसार कब्जा लें तथा न्यायालयों में लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ें। आवंटन अधिकारी ने पाक विस्थापित नागरिक का दावा समाप्त करने के लिए साजिशी तरीके से उक्त पेपर आवंटन किया है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा जारी अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 18—01—2008 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट झण्डा के लिये विकल्प खुला रहेगा कि वह निरस्त किये गये आवंटन की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटन करावें। उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला को इस प्रकरण में संबंधित मूल पत्रावली गायब करने के मामलें में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए।

8. निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर